संख्या-52 /2026/1212891931/2026 /30-3-26-15बी/2012

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 27 मार्च, 2026

विषय- परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य हेतु अनुमन्य किराये के अनुबंधित 75 वाहनों को अनुबन्ध के आधार पर किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-138स्टोर्स/इन्फ/2026-02स्टोर्स/2020,दिनॉक 25-03-2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं यात्री/मालकर अधिकारी को प्रवर्तन कार्य हेतु 75 किराये की वाहनों की अनुमन्यता अग्रेतर 01 वर्ष की अवधि (01.04.2025 से 31.03.2026) तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) एवं यात्री/मालकर अधिकारी को प्रवर्तन कार्य हेतु कुल 75 वाहन अग्रेतर 01 वर्ष की अवधि (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026) तक के लिए किराए पर लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त दिनॉक 01-04-2025 से दिनॉक 31-03-2026 की अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियों का निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मूल्यांकन किये जाने के उपरांत ही भविष्य में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष-2025-26 में अनुदान संख्या-43 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-9-606 -X-2025-26, दिनॉक 27 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-52 /2026/1212891931/2026 (1)/30-3-2026, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।